संक्षिप्त

भू-खंड आवंटन को लेकर बैठक 12 को

निवाई। कृषि उपज मंडी में रिक्त गोदाम भू-खंडों के आवंटन के लिए 12 जून को मंडी कार्यालय में बैठक आयोजित होगी। मंडी सचिव कमलकिशोर सोनी ने बताया कि 12 जनू को सुबह 11 बजे मंडी प्रशासक की अध्यक्षता में आवंटन समिति की बैठक आयोजित होगी। बैठक में मंडी परिसर में स्थित रिक्त गोदाम भू-खंडों के आवंटन किया जाएगा। जिसमें सभी आवेदक भाग लेंगे।

सीएम का आभार जताया

चौमूं / कालाडेरा। ग्राम मलिकपुर में 33/11 सबस्टेशन की स्थापना के लिए जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड द्वारा प्रशासनिक स्वीकृति जारी कर दी गई है। रामलाल शर्मा ने कहा कि क्षेत्र की विद्युत व्यवस्था को सुदृढ़ करना और हमारे अन्नदाताओं व ग्रामीणों को बिजली की समस्या से निजात दिलाना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल रहा है। मलिकपुर में नया सबस्टेशन बनने से क्षेत्र के बिजली तंत्र में अभूतपूर्व सुधार होगा। पूर्व विधायक रामलाल शर्मा ने इस जनहितैषी निर्णय और त्वरित प्रशासनिक स्वीकृति के लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा एवं ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर का क्षेत्रवासियों की ओर से आभार व्यक्त किया और धन्यवाद ज्ञापित किया। उन्होंने कहा कि मलिकपुर एवं इसके आस-पास के गांवों के उपभोक्ताओं को लंबे समय से चली आ रही लो-वोल्टेज और बार-बार होने वाली ट्रिपिंग की समस्या से स्थाई रूप से छुटकारा मिलेगा, क्षेत्र के अन्नदाताओं को खेती-बाड़ी और सिंचाई कार्यों के लिए पर्याप्त, सुचारू और गुणवत्तापूर्ण थ्री-फेज बिजली उपलब्ध हो सकेगी, जिससे फसलों की पैदावार में मदद मिलेगी तथा बिजली वितरण व्यवस्था को अधिक पारदर्शी, संतुलित और लोड-फ्री बनाने के लिए इस सबस्टेशन के अंतर्गत 3 नए 11 आउटगोइंग फीडर भी तैयार किए जाएंगे।

नाबालिग की मौत पर समाज आक्रोशित

बौंली-बामनवास। राजस्थान की राजधानी जयपुर के प्रताप नगर निवासी नाबालिग वंशिका गर्ग की संदिग्ध मौत पर बौंली व बामनवास क्षेत्र के अग्रवाल समाज में भारी आक्रोश व्याप्त है। इस मामले को लेकर अग्रवाल समाज ने बौंली उपखंड अधिकारी को नारेबाजी करते हुए 8सूत्रीय मांग पत्र का ज्ञापन सोपा। ज्ञापन में अंकित किया गया है कि अग्रवाल समाज की नाबालिग बेटी कुमारी वंशिका गर्ग के साथ धटित अत्यंत, दुखद व संदिग्ध घटना से संपूर्ण अग्रवाल समाज में ही नहीं समस्त जनमानस में भय, असुरक्षा एवं चिंता का वातावरण व्याप्त है। समाज की भावना है की इस प्रकरण की निष्पक्ष जांच करा कर दोषियों को कठोर दण्ड व सजा मिले।

कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन

मनोहरपुर। पंचायती राज मंत्रालयिक कर्मचारी संगठन राजस्थान के द्वारा आज संपूर्ण प्रदेश भर में स्वाभिमान बचाओ आंदोलन के तहत आज पूरे राजस्थान में सभी जिला कलेक्टर एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारीयों को ज्ञापन सौंपा गया प्रदेश महामंत्री एवं जयपुर जिला अध्यक्ष पुरूषोतम टेलर ने बताया कि यदि सरकार हमारे द्वारा हमारी मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा प्रदेश अध्यक्ष अशोक निठारवाल ने बताया कि इस आंदोलन में 6 जुलाई को मुख्यमंत्री का घेराव किया जाएगा फिर भी मांगे नहीं माने जाने पर पूरी प्रदेश कार्यकारणी और सभी जिला अध्यक्ष और महामंत्रियों द्वारा जल समाधि ली जाएगी जिस की संपूर्ण जिम्मेदारी सरकार की होगी इस अवसर पर राजस्थान राज्य मंत्रालयिक कर्मचारी महासंघ के महामंत्री सुनिल मोदी ने बताया कि यदि सरकार इन कर्मचारियों की मांगे नहीं मानती है तो राजस्थान के सभी 122 विभागों के एक लाख कर्मचारी आंदोलन में उतरेंगे।

मानसून से पहले निकाय व पंचायत अधिकारी आपदा से निपटने के लिए तैयार रहे : अतुल प्रकाश

जिला कलेक्टर अतुल प्रकाश ने खैरथल सचिवालय पर अधिकारियों को समीक्षा बैठक में निर्देशित किया।

- खैरथल में कलेक्टर अतुल प्रकाश की अध्यक्षता में हुई जिला स्तरीय तीन अलग-अलग समीक्षा बैठक
- पेंशन-पेंडेंसी से मानसून तक दिए सख्त निर्देश

खैरथल। जिला कलेक्टर अतुल प्रकाश ने सोमवार को जिला सचिवालय में उन्होंने अलग-अलग चरणों में तीन बड़ी बैठकें की। साप्ताहिक समीक्षा, बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ की त्रैमासिक समीक्षा और मानसून आपदा प्रबंधन। बैठक में कलेक्टर ने हर विभाग की क्लास ली और लंबित पेंशन प्रकरणों पर सख्ती दिखाई तिजारा समेत सभी उपखंड अधिकारियों को एक सप्ताह में निस्तारण की डेडलाइन देते हुए चेताया कि राजस्व फाइलों में अगली तारीख खुद डालो, निरीक्षण में देखा जाएगा तारीख किसने दी । साप्ताहिक समीक्षा बैठक में कलेक्टर ने अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी को लंबित पेंशन प्रकरण तुरंत निपटाने के निर्देश दिए। सभी एसडीएम को एक सप्ताह में पेंडिंग पेंशन क्लियर करने को कहा गया। 90 दिन से ज्यादा लंबित मामलों पर नाराजगी जताते हुए कहा जो केस नियम से निपट सकते हैं, उन्हें पोर्टल पर लटकाकर न रखें। एल आई स्तर पर ही अधिकतम निस्तारण हो। कलेक्टर ने बैठक में चिकित्सा संस्थानों के निरीक्षण में मिली कमियां तुरंत दूर करने, जनगणना के लॉजिकल एरर सुधारने के आदेश दिए। राजस्व न्यायालयों में गुणवत्तापूर्ण निस्तारण पर जोर देते हुए एसडीएम को फाइलों में अगली तारीख स्वयं अंकित करने को कहा साथ उन्होंने चेताया भी कि निरीक्षण में चेक होगा कि तारीख किसने दी। जलदाय विभाग को वित्तीय कार्य समय पर क्लोज करने को कहा ताकि जल जीवन मिशन को बजट मिलने में दिक्कत न हो। कलेक्टर ने सीएलएफ भवनों के लिए भूमि चिन्हीकरण, कन्वर्जन प्रकरणों के निस्तारण और बॉर्डर होमगार्ड के लिए जमीन चिन्हित करने के निर्देश भी दिए। आपदा प्रबंधन बैठक में कलेक्टर ने सभी नगर निकायों को मानसून से पहले तैयार रहने को कहा। जलभराव वाले इलाकों में मड पंप, अस्पतालों में सर्पदंश के लिए एंटीवेनम, बाढ़ के लिए सैंड बैग तैयार रखने के निर्देश दिए। विद्युत विभाग को आंधी-बारिश में पोल गिरने पर तुरंत मरम्मत और ढीले तार-केबल दुरुस्त करने को कहा। हर ठाम पंचायत में रस्सी, ट्यूब जैसे बचाव संसाधन रखने को कहा। उन्होंने ने जिला स्तरीय 247 कंट्रोल रूम के साथ सभी ब्लॉक में भी कंट्रोल रूम बनाने के आदेश दिए। बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ की त्रैमासिक समीक्षा में कलेक्टर ने हर साल लिंगानुपात में कम से कम दो अंकों की वृद्धि का टारगेट दिया। संस्थागत प्रसव बढ़ाने और मातृ-शिशु स्वास्थ्य सेवाएं मजबूत करने को कहा। डीईओ को स्कूलों में नामांकन बढ़ाने के निर्देश दिए।बैठक में अतिरिक्त जिला कलेक्टर शिवपाल जाट, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भिवाड़ी श्रीमन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जया सिंह, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. अरविंद गेट, कोषाधिकारी सुरेश कुमार बंसल, अधीक्षण अभियंता सार्वजनिक निर्माण विभाग ओमप्रकाश किराड़, अधीक्षण अभियंता जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग धर्मवीर यादव, अधीक्षण अभियंता विद्युत विभाग जे.पी. बेरवा, महाप्रबंधक उद्योग विभाग अभिनेंद्र सैनी सहित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। तथा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी उपखंड अधिकारी जुड़े रहे।

महिला समिति ने राहगीरों को पिलाया शर्बत

राजगढ़। स्टेशन मार्ग स्थित नसिया जी जैन मंदिर के बाहर गर्मी के मौसम में वैश्य महिला समिति ने राहगीरों को शीतल मीठा शरबत वितरण किया। महिला समिति के इस कार्य की लोगों ने सराहना की।समिति की सदस्यों ने राहगीरों को ठंडा शर्बत पिलाकर उन्हें गर्मी से राहत पहुंचाई।

इस सेवा कार्य में समिति की अध्यक्षा रेणु जैन, जिला उपाध्यक्ष मीना खण्डेलवाल, संरक्षिका अर्चना भांगला की विशेष उपस्थिति रही।

इस अवसर पर ममता विजय, नमिता गुप्ता, कृष्णा गुप्ता, कमलेश खण्डेलवाल, सुषमा गोयल, बबीता गोयल, दीपिका अग्रवाल, लवी गुप्ता, अनीता विजय, अनीता खण्डेलवाल, भगवती गुप्ता, कमलेश गुप्ता सहित अन्य सदस्याएं उपस्थित रहीं।

समिति द्वारा किया गया यह सेवा कार्य न केवल सराहनीय है, बल्कि समाज में सेवा और सहयोग की भावना को भी प्रेरित करता है।

समयबद्ध क्रियान्वयन व परिवाद निस्तारण सर्वोच्च प्राथमिकता : अपर्णा गुप्ता

- जिला कलेक्टर ने फ्लैगशिप योजनाओं, बजट घोषणाओं, सम्पर्क प्रकरणों, ग्रीष्मकालीन व्यवस्थाओं एवं मिशन हरियालो राजस्थान की तैयारियों की समीक्षा की

कोटपूतली। जिला कलेक्टर अपर्णा गुप्ता की अध्यक्षता में सोमवार को जिला कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित साप्ताहिक समीक्षा बैठक में राज्य सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं, बजट घोषणाओं, विकास कार्यों, सम्पर्क पोर्टल पर दर्ज परिवादों तथा आमजन से जुड़ी आधारभूत सुविधाओं की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की गई। बैठक में उपखंड एवं ब्लॉक स्तरीय अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शामिल हुए। जिला कलेक्टर ने फ्लैगशिप योजनाओं की राज्य स्तरीय रैंकिंग एवं ब्लॉकवार प्रगति का विश्लेषण करते हुए अधिकारियों को योजनाओं का प्रभावी एवं परिणामोन्मुखी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ पात्र व्यक्ति तक समय पर पहुंचे और प्रत्येक विभाग निर्धारित लक्ष्यों के अनुरूप कार्य करे।

ग्रीष्मकालीन परिस्थितियों के मद्देनजर जिला कलेक्टर ने पेयजल, विद्युत एवं स्वास्थ्य सेवाओं को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए संबंधित विभागों को आवश्यक निर्देश दिए।

उन्होंने विद्युत विभाग को आंधी-तूफान से प्रभावित क्षेत्रों में त्वरित मरम्मत, नियमित मॉनिटरिंग तथा आवश्यक अपठोडेशन कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए, ताकि आमजन को निर्बाध विद्युत आपूर्ति मिल सके। बैठक में वर्ष 2024-25, 2025-26 एवं 2026-27 की लंबित बजट घोषणाओं की विभागवार समीक्षा करते हुए जिला कलेक्टर ने कार्यों में गति लाने तथा निर्धारित समयसीमा में पूर्ण करने के निर्देश दिए। सम्पर्क पोर्टल पर प्राप्त परिवादों की समीक्षा के दौरान जिला कलेक्टर ने कहा कि आमजन की शिकायतों का संवेदनशीलता, जवाबदेही एवं गुणवत्ता के साथ समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित किया जाए।

जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग की समीक्षा के दौरान पेयजल आपूर्ति व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ बनाने, टैंकर संचालन की प्रभावी मॉनिटरिंग, जल जीवन मिशन के कार्यों को समय पर पूर्ण करने तथा समर कंटीजेंसी कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा मौसमी बीमारियों की स्थिति एवं स्वास्थ्य प्रबंधन संबंधी तैयारियों की जानकारी प्रस्तुत की गई। जिला कलेक्टर ने आवश्यक दवाओं एवं जांच सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने, स्वास्थ्य सेवाओं की सतत मॉनिटरिंग रखने तथा आमजन को बेहतर उपचार उपलब्ध कराने पर जोर दिया।

स्वरोजगार और उद्योग विकास की योजनाओं से रूबरू हुए युवा

लालसोट। कस्बे की अग्रवाल धर्मशाला में जिला उद्योग केन्द्र दौसा के तत्वावधान में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के लिए जागरूकता शिविर आयोजित किया गया। शिविर में उद्यमियों, युवाओं एवं व्यापारियों को केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी गई। जिला उद्योग केन्द्र दौसा के संयोजक जितेंद्र कुमार ने बताया कि अभियान का उद्देश्य एमएसएमई क्षेत्र से जुड़े लोगों को सरकारी योजनाओं तथा डिजिटल प्लेटफॉर्म की जानकारी देकर उनकी प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढ़ाना है। उन्होंने युवाओं से योजनाओं का लाभ उठाकर स्वरोजगार एवं उद्यिमता की दिशा में आगे बढ़ने का आव्हान किया। शिविर में विशेषज्ञों ने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट (ओडीओपी) नीति, पीएम विश्वकर्मा योजना तथा मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना की पात्रता, आवेदन प्रक्रिया एवं लाभों की विस्तृत जानकारी दी।

लालसोट में पुलिस का बड़ा एक्शन, अवैध गैस रिफिलिंग पर शिकंजा

- 10 वाहन जब्त, 5 लोगों पर कार्रवाई; पैदल गश्त कर संदिग्धों की जांच

लालसोट। कस्बे में कानून व्यवस्था सुदृढ़ करने और अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस ने विशेष अभियान चलाकर सघन कार्रवाई की। वृताधिकारी दिलीप मीणा एवं थाना प्रभारी पवन कुमार जाट के नेतृत्व में पुलिस टीम ने पैदल गश्त कर अवैध गैस रिफिलिंग, यातायात नियमों के उल्लंघन तथा संदिग्ध गतिविधियों की जांच की। अभियान के दौरान घरेलू गैस सिलेंडरों से अवैध रिफिलिंग की आशंका वाले प्रतिष्ठानों की जांच की गई तथा संचालकों को नियमों की पालना करने के निर्देश दिए गए।

पैदल गश्त कर संदिग्धों की जांच करते हुए पुलिस कर्मचारी।

पुलिस ने विभिन्न स्थानों पर संदिग्ध व्यक्तियों एवं वाहनों की भी गहन तलाशी ली। यातायात नियमों की अनदेखी करने वालों पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने मॉडिफाइड वाहन, काले शीशे लगी गाड़ियां एवं अन्य नियम उल्लंघन करने वाले 10 वाहनों को जब्त किया।

वहीं धारा 60 पुलिस एक्ट के तहत 5 व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई की गई तथा आरएनसी एक्ट के तहत एक मामला दर्ज किया गया। थाना प्रभारी पवन कुमार जाट ने कहा कि अवैध गैस रिफिलिंग जैसी गतिविधियां जनसुरक्षा के लिए गंभीर खतरा हैं। ऐसे मामलों में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी तथा अपराधियों व नियम तोड़ने वालों के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा।

सवा साल बाद चोरी हुआ डंपर बरामद

लालसोट। रामगढ़ पचवारा थाना पुलिस ने तकनीकी साक्ष्यों और मुखबिर तंत्र की मदद से सवा साल पहले चोरी हुए एक डंपर को बरामद करने में सफलता हासिल की है।

पुलिस की इस कार्रवाई को क्षेत्र में वाहन चोरी के मामलों के विरुद्ध महत्वपूर्ण उपलब्धि माना जा रहा है। थानाधिकारी मदन लाल मीणा ने बताया कि परिवादी सांवलराम ने 23 जनवरी 2025 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 22 जनवरी 2025 की रात सोनड क्षेत्र से उसका डंपर अज्ञात चोर चोरी कर ले गए। रिपोर्ट के आधार पर रामगढ़ पचवारा थाने में मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई। पुलिस टीम ने लगातार तकनीकी विश्लेषण, सूचनाओं के संकलन एवं मुखबिर तंत्र की सहायता से डंपर की तलाश जारी रखी। लंबी जांच के बाद चोरी हुआ डंपर हरियाणा के पलवल-फरीदाबाद रोड स्थित सिलानी चौराहे के पास से बरामद कर लिया गया। पुलिस ने डंपर को कब्जे में लेकर आवश्यक कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। वहीं, मामले में शामिल आरोपियों की पहचान और गिरफ्तारी के प्रयास जारी हैं। इस कार्रवाई में थानाधिकारी मदन लाल मीणा, हेड कांस्टेबल निहाल सिंह, कांस्टेबल रोहिताश, महेश एवं हंसराज की महत्वपूर्ण भूमिका रही। पुलिस अधिकारियों ने टीम के प्रयासों की सराहना करते हुए जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार करने का भरोसा जताया है।

खेलना गांव में आठ दिवसीय श्रीमद्भागवत कथा महोत्सव शुरु

- भव्य कलश यात्रा में उमड़ा जनसैलाब
- कथा प्रतिदिन प्रातः 11:15 बजे से सायं 3:15 बजे तक आयोजित की जाएगी।

पावटा। तहसील पावटा के गांव खेलना में आठ दिवसीय भव्य धार्मिक महोत्सव संगीतमय श्रीमद्भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ का शुभारम्भ सोमवार को विशाल कलश यात्रा के साथ हुआ। स्वास्थ्य केन्द्र एवं पुरानी स्कूल के सामने स्थित बाउंड्रीवाल परिसर में आयोजित होने वाली कथा के शुभारम्भ अवसर पर निकली कलश यात्रा में हजारों श्रद्धालुओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। कलश यात्रा का शुभारम्भ गांव स्थित टीलाजी महाराज के जानकी रघुनाथ मंदिर से हुआ। पंडित द्वारकेश मिश्र एवं महेश मिश्र ने वैदिक मंत्रोच्चार के साथ पूजा-अर्चना कर कलश यात्रा को रवाना किया। कथा स्थल से शुरू हुई यात्रा पूरे गांव की परिक्रमा करते हुए पुनः कथा स्थल पहुंची। इस दौरान महिलाओं ने पारंपरिक वेशभूषा में सिर पर कलश धारण कर नगर भ्रमण किया, वहीं श्रद्धालु भजन-कीर्तन, ढोल-नगाड़ों और बैंड-बाजों की धुन पर नाचते-गाते चल रहे थे। शोभायात्रा में सूबेदार वीरेंद्र सिंह एवं पूरण सिंह पवित्र श्रीमद्भागवत कथा पोथी को सिर पर धारण कर चल रहे थे। साधु-संत रथों पर विराजमान रहे, जबकि जयकारों से पूरा गांव भक्तिमय वातावरण में सराबोर हो गया। आयोजन समिति ने बताया कि पुरुषोत्तम मास के पावन अवसर पर श्री टीलाजी महाराज के आशीर्वाद तथा ठाम खेलना एवं आसपास के क्षेत्रवासियों के सहयोग से इस विशाल धार्मिक आयोजन का आयोजन किया जा रहा है। कथा का वाचन वृन्दावन धाम के प्रसिद्ध कथा प्रवक्ता आचार्य रामवतार दास महाराज के श्रीमुख से होगा। कथा प्रतिदिन प्रातः 11:15 बजे से सायं 3:15 बजे तक आयोजित की जाएगी। कथा कार्यक्रम में 9 जून को परीक्षित शुक संवाद, 10 जून को श्री वामन (बावन) अवतार, 11 जून को श्रीकृष्ण जन्मोत्सव, 12 जून को श्री गोवर्धन पूजा, 13 जून को श्रीकृष्ण-रुक्मिणी विवाह, 14 जून को श्री कृष्ण सुदामा चरित्र एवं शुकदेव विदाई, 15 जून को हवन यज्ञ एवं महाप्रसादी वितरण होगा।

पावटा के गांव खेलना में आठ दिवसीय संगीतमय श्रीमद्भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ का शुभारम्भ हुआ।

आम सूचना सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे अभिभाष्य विजय सिंह पुत्र श्री भैरो सिंह नि. प्लॉट नं. ए-210, जय नगर, मुरलीपुरा, जयपुर का पुत्र युवराज सिंह मेरे अभिभाष्य के कहने सुनने में नहीं है तथा मेरे अभिभाष्य व उसके परिवार के प्रति कतज्ञ नहीं है तथा वह मेरे अभिभाष्य से अलग अन्यत्र निवास कर रहा है इसलिये मेरे अभिभाष्य ने अपनी समस्त चल व अचल सम्पत्तियों से उसे बेदखल कर दिया है। यदि कोई भी व्यक्ति/संस्था इत्यादि युवराज सिंह से किसी प्रकार का संव्यवहार करता है तो उसकी समस्त जिम्मेवारी स्वयं की होगी। मेरे अभिभाष्य किसी प्रकार जिम्मेवार नहीं होंगे। अत सूचित रहे।
दिनांक- 08.06.2026 (अनिल सिंह तंवर), एडवोकेट मो.नं. 9829006244

नम्बर मिलाइए 8890333139

सिर्फ एक फोन कॉल पर विज्ञापन घर बैठे बुक करायें।

खोया पाया

मेरे मकान नंबर 262/314 सैक्टर 26 प्रताप नगर सांगानेर जयपुर की ऑरिजनल फाइल जिसमें आवेदन पत्र अलाटमेंट लेटर, कब्जापत्र मूल भौतिक कब्जा अदेय प्रमाण पत्र, जमा रसीद कहीं खो गया। मिलने पर सूचित करें रजनी देवी 8233200785

राजस्थान आवासन मण्डल, वृत्त-प्रथम, प्रताप नगर, जयपुर
क्रमांक-1319 दिनांक-08.06.2026
जाहिर आम-सूचना राजस्थान आवासन मण्डल की प्रताप नगर, सांगानेर योजना में आवास संख्या 64/251 (MIG-A), (एरिया 90.000 वर्गमीटर) प्रताप नगर, सांगानेर का आवंटन श्री हीरा लाल पुत्र श्री ताराचन्द को किया जाकर आवंटन पत्र क्रमांक 2908 दिनांक 29.10.1997 को जारी किया गया। श्री हीरालाल की मृत्यु दिनांक 12.05.2018 को हो जाने के कारण पंजीकृत हकत्याग पत्र के आधार पर इनकी पत्नी श्रीमती पुष्पा मेहरा पत्नी स्व. श्री हीरा लाल मेहरा द्वारा उक्त आवास को स्वयं के नाम हस्तान्तरण करने हेतु आवेदन किया गया है। अतः उक्त आवास के हस्तान्तरण बाबत किसी व्यक्ति/पक्षकार को कोई आपत्ती हो तो अधोहस्ताक्षर कर्ता के कार्यालय में 7 दिवस में अपनी आपत्ति प्रस्तुत करें अन्यथा यह मानते हुए की मण्डल रिकॉर्ड में नाम दर्ज करने में किसी को कोई आपत्ति नहीं है श्रीमती पुष्पा मेहरा पत्नी स्व. श्री हीरा लाल मेहरा का नाम मण्डल रिकॉर्ड में दर्ज कर दिया जावेगा।
सम्पदा प्रबन्धक, वृत्त-प्रथम, राज. आवा. मण्डल, जयपुर

राजस्थान आवासन मण्डल, वृत्त-प्रथम, प्रताप नगर, जयपुर
क्रमांक-1312 दिनांक-08.06.2026
जाहिर आम-सूचना राजस्थान आवासन मण्डल की प्रताप नगर, सांगानेर योजना में आवास/फ्लैट संख्या 28/बी/एफ.1/08 (1-F) (MIG-B), प्रताप नगर, सांगानेर का आवंटन श्रीमती आशा शर्मा पत्नी श्री शम्भुदयाल शर्मा को किया जाकर आवंटन पत्र क्रमांक 13185 दिनांक 11.02.2016 को जारी किया गया। श्रीमती आशा शर्मा पत्नी श्री शम्भुदयाल शर्मा के पक्ष में उक्त आवास/फ्लेट के पंजीयन प्रपत्र दिनांक 02.05.2016 को उप पंजीयक सांगानेर प्रथम जयपुर के यहां पंजीकृत करवाये गये। श्रीमती आशा शर्मा पत्नी श्री शम्भुदयाल शर्मा की मृत्यु दिनांक 25.10.2025 को हो जाने के कारण उनके पुत्र श्री लोकेश शर्मा पुत्र श्री शम्भुदयाल शर्मा द्वारा पंजीकृत वसीयतनामा के आधार से स्वयं का नाम उक्त आवास के रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराने बाबत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है। अतः उक्त आवास के हस्तान्तरण बाबत किसी व्यक्ति/पक्षकार को कोई आपत्ती हो तो अधोहस्ताक्षर कर्ता के कार्यालय में 7 दिवस में अपनी आपत्ति प्रस्तुत करें अन्यथा यह मानते हुए की मण्डल रिकॉर्ड में नाम दर्ज करने में किसी को कोई आपत्ति नहीं है श्री लोकश शर्मा पुत्र श्री शम्भुदयाल शर्मा का नाम मण्डल रिकॉर्ड में दर्ज कर दिया जावेगा।
सम्पदा प्रबन्धक, वृत्त-प्रथम, राज. आवा. मण्डल, जयपुर

नाम परिवर्तन

मैं दीपा देवी (शादी से पूर्व नाम-दीपा) पत्नी श्री भगत सिंह निवासी 41 महेन्द्र नगर न्यू सांगानेर रोड जयपुर जन्मतिथि 06 फरवरी 1984, शादी 25 मई 2001 को हुई। शादी बाद मेरा नाम दीपा से दीपा देवी हो गया। भविष्य में मुझे नए नाम दीपा देवी से जाना पहचाना जाए।

मैंने अपना नाम कोमलबेन लक्ष्मणदास खुहा से बदलकर कोमल खत्री पत्नि मोहित खत्री कर लिया है भविष्य में मुझे इसी नाम से जाना पहचाना जावें। पता 77/138 अरावली मार्ग, मानसरोवर, जयपुर-302020

उद्घोषणा (इश्तिहार) न्यायालय (राज.)
व्यवहार मिश्रित (मुत्तफरिक) वाद सं. 24023/2025
विषय: उत्तराधिकार प्रमाण-पत्र प्रोबेट, लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन प्राप्त करने हेतु प्रार्थना-पत्र।
प्रार्थी-नाम भूपेन्द्र कुमार रावंका पुत्र स्व. सुरेन्द्र कुमार रावंका जरिये मुखत्यार बसंत मधुकर विवाद स्थान मकान नं. C-75, मंगल मार्ग, शिवाड एरिया बापू नगर, जयपुर मृतक स्व. सुरेन्द्र कुमार रावंका की सम्पत्ति के विषय में।
पेशी दिनांक 02.07.2026
सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि, उपरोक्त प्रार्थी/प्रार्थीगण ने इस न्यायालय में इस आशय का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है कि मृतक, नाम सुरेन्द्र कुमार रावंका पुत्र स्व. चांदू लाल रावंका निवासी- C-75, मंगल मार्ग, शिवाड एरिया बापू नगर, जयपुर का उत्तराधिकारी स्वीकार कर उसके पक्ष में उत्तराधिकार प्रमाण-पत्र, प्रोबेट, लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, प्रदान किया जावे। अतः उक्त प्रार्थना-पत्र की स्वीकृति में यदि किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो वह इस न्यायालय में दिनांक 02 माह 07 सन् 2026 को न्यायालय में उपस्थित होकर अपनी आपत्ति प्रमाण सहित प्रस्तुत करें। उक्त दिवस के पश्चात् कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी।
आज दिनांक 18 माह 05 सन् 2026 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय मुद्रांकन से जारी किया गया। प्रार्थी ने मृतक सुरेन्द्र कुमार के नाम प्रारूप में वर्णित खातों में जमा राशि बाबत उत्तराधिकार प्रमाणपत्र चाहा है।
मोहर आज्ञा न्यायालय से वरिष्ठ मुंसरिम जिला एवं सेशन न्यायालय जयपुर महानगर प्रथम

विवाद्यकों के स्थिरीकरण के लिए सम्मन
(आदेश 5 के नियम 1 और 5)
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी महोदय पावटा, जिला कोटपूतली-बहरोड
शंकर लाल बनाम सुवालाल वगैरह
वाद तकास्मा एवं स्थाई निषेधाज्ञा
बनाम
1. सुवालाल पुत्र गिरधारीलाल जाति माली, निवासी पावटा, जिला कोटपूतली-बहरोड, राजस्थान, 2. मेवा देवी पत्नि मदनलाल, 3. भैरूराम, 4. नागेश पुत्रान मदनलाल, 5. मंजू देवी पत्नि धोलाराम पुत्र मदनलाल, 6. अखिलेश पुत्र धोलाराम, 7. अनिशा पुत्री धोलाराम
6 व 7 नाबालिग जरिये संरक्षक कुदरती वली माता मंजू देवी पत्नि धोलाराम, समस्त जाति अहीर निवासी पावटा, तहसील पावटा, जिला कोटपूतली-बहरोड, राजस्थान
वादी ने आपके विरूद्ध वाद पंजीयत किया है। आपका इस न्यायालय में तारीख 10.06.2026 को दिन मे 10 बजे दावे का उत्तर देने के लिये उपसंजात (हाजिर) होने के लिये वचन दिया जाता है। आप न्यायालय में स्वयं या किसी ऐसे प्लीडर द्वारा उपसंजात हो सकते हैं जिसे सम्यक अनुदेश दिए गये हों और जो इस वाद से सम्बन्धित सभी सारवान प्रश्नों का उत्तर दे सके या जिसके साथ ऐसा कोई व्यक्ति हो जो ऐसे सब प्रश्नों का उत्तर दे सके। आपको यह निर्देश भी दिया जाता है कि आप उस दिन अपनी प्रतिरक्षा का लिखित साक्ष्य दाखिल करें और उस दिन ऐसे सब दस्तावेज जो आपके कब्जे में या शक्ति में है पेश करें जिन पर आपकी प्रतिरक्षा या दाखिल/सुजराई का दावा या प्रतिदावा आधारित है। और यदि आप किसी अन्य दस्तावेज पर, चाहे वह आपके कब्जे व शक्ति में हो अपना प्रतिरक्षा या मुजराई के दावे या प्रतिदावे के समर्थन मे साक्ष्य के रूप में निर्भर करते हैं तो आप ऐसी दस्तावेजों को उल्लिखित समय के बाद उपाबद्ध की जाने वाली सूची मे प्रविष्ट करें। आपको सूचित किया जाता है कि यदि आप ऊपर बताई गई तारीख को इस न्यायालय में उपसंजात नहीं होंगे तो वाद की सुनवाई और उसका निपटारा आपकी अनुपस्थिति मे किया जायेगा।
यह वाद ता. 08 माह 06 सन् 2026 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दिया गया है।
मोहर अदालत न्यायालय-उपखण्ड अधिकारी पावटा (कोटपूतली-बहरोड)

राजस्थान राज्य सहकारी आवासन संघ लि., जयपुर
5वीं व 6वीं मंजिल नेहरू सहकार भवन, 22 गोदाम सर्किल, जयपुर
Phone: 0141-2741805 Email: rsehfjaipur@yahoo.com, Office Website:- www.rschf.com
क्रमांक-55/26 दिनांक- 08.06.2026
आम सूचना संघ की आवासीय योजना कमला नेहरू नगर, अजमेर रोड, जयपुर का भवन संख्या-2-घ-3 श्री कृष्ण बल्लभ खण्डेलवाल को आवंटित किया गया था, जिसकी राशि द्वारा दिनांक 31.03.1999 को कन्वेन्स डीड एवं परप्यूवल लीज जारी कर रजिस्ट्री करवा दी गई थी। श्री खण्डेलवाल की मृत्यु उपरान्त उनके पुत्र श्री पीयूष खण्डेलवाल द्वारा उनके पिता का मृत्यु प्रमाण पत्र, वारिसान प्रमाण पत्र एवं वारिसान का उनके पक्ष में रजिस्टर्ड हक-त्याग पत्र दिनांक 27.01.2024 व आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत कर स्वयं के नाम उक्त भवन ट्रांसफर करने हेतु आवेदन किया गया है। जिस किसी को उक्त भवन के हस्तान्तरण पर आपत्ति हो, तो संघ कार्यालय में 15 दिवस में प्रमाण सहित प्रस्तुत करें, अन्यथा भवन संख्या 2-घ-3, कमला नेहरू नगर, अजमेर रोड, जयपुर को श्री पीयूष खण्डेलवाल पुत्र स्व. श्री कृष्ण बल्लभ खण्डेलवाल के नाम हस्तान्तरण कर दिया जावेगा।
(योगेश शर्मा) प्रबन्ध निदेशक
राजस्थान राज्य सहकारी आवासन संघ लि., जयपुर

राजस्थान आवासन मण्डल, वृत्त-प्रथम, प्रताप नगर, जयपुर
क्रमांक-1311 दिनांक-05.06.2026
जाहिर आम-सूचना राजस्थान आवासन मण्डल की सामान्य पंजीकरण योजना वर्ष 1982 के अन्तर्गत जरिये आवेदन फार्म संख्या आर/82/88642 के द्वारा पंजीकरण राशि रूपये 4,600/- जमा कराकर पंजीकरण करवाया था। जिसका वरीयता क्रमांक (P-00/HIG/HNS/G1/2010) P-941/MIG-1/HPS/1982 प्रताप नगर, सांगानेर का पंजीकरण श्री रमेश चन्द्र शर्मा पुत्र श्री प्रभुदत्त शर्मा को किया जाकर पूर्व ग्रहण राशि मांग पत्र 527 दिनांक 14.09.1999 के द्वारा जारी किया गया था। श्री रमेश चन्द्र शर्मा की मृत्यु दिनांक 22.04.2025 को हो जाने के कारण इनकी पत्नी श्रीमती विमला देवी शर्मा पत्नी स्व. श्री रमेश चन्द्र शर्मा द्वारा उक्त पंजीकरण को स्वयं के नाम हस्तान्तरण करने हेतु आवेदन किया गया है। अतः उक्त पंजीकरण के हस्तान्तरण बाबत किसी व्यक्ति/पक्षकार को कोई आपत्ती हो तो अधोहस्ताक्षर कर्ता के कार्यालय में 7 दिवस में अपनी आपत्ति प्रस्तुत करें अन्यथा यह मानते हुए की मण्डल रिकॉर्ड में नाम दर्ज करने में किसी को कोई आपत्ति नहीं है श्रीमती विमला देवी शर्मा पत्नी स्व. श्री रमेश चन्द्र शर्मा का नाम मण्डल रिकॉर्ड में दर्ज कर दिया जावेगा।
सम्पदा प्रबन्धक, वृत्त-प्रथम, राज. आवा. मण्डल, जयपुर

कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी नगरपालिका किशनगढबास,खैरथल-तिजारा
क्रमांकः-न.पा.कि.बास/2026/942 प्रारूप-10 नियम 6 (7) देखिए दिनांकः-03/06/2026
लोक सूचना
आवेदक / खातेदार श्री रमेश चन्द जैन पुत्र श्री श्याम लाल जैन, श्री महेन्द्र कुमार जैन पुत्र श्री हरद्वारी लाल जैन निवासी सराय मौहल्ला, किशनगढबास, मेव बोर्डिंग समिति (जरिये असरू खान मेवाती पुत्र श्री कमल खान) निवासी ग्राम बगथला, किशनगढवास जिला खैरथल तिजारा ने इस कार्यालय में नीचे उल्लिखित भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अपने अभिधृति अधिकारों के निर्वापन के लिये आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात् :-

जिले सहित तहसील का नाम	ग्राम का नाम	खसरा नं.	क्षेत्र
किशनगढ़बास खैरथल-तिजारा	दयालपुर हल्का पटवार	174,175,176	1.5200 है (15200 वर्गमीटर)

इसलिये, इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियो को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिये भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 07 दिवस के भीतर-भीतर कार्य दिवस पर कार्यालय समय के दौरान अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष समर्थक दस्तावेजो के साथ अपने आक्षेप प्रस्तुत कर सकेगा।
उपर्युक्त नियत समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नही है और तदनुसार मामले का निपटारा किया जावेगा।
यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मोहर के अधीन आज 03/06/26 को जारी की गयी।
प्राधिकारी अधिकारी, नगरपालिका किशनगढ़, खैरथल-तिजारा

प्रपत्र संख्या 7
(देखिये नियम 21)
कार्यालय सहायक आयुक्त (प्रथम) देवस्थान विभाग, जयपुर
राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 18 (2) के अधीन नोटिस
समस्त सम्बन्धित व्यक्तियों को
मुकदमा नम्बर 659/2026
(नाम वर्णन तथा निवास स्थान)
चूंकि श्री दुर्ग सिंह चौहान, निवासी 43 ए, श्याम वाटिका, रामनगर विस्तार, सोडाला, जयपुर ने राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 17(1) के अन्तर्गत प्रन्यास मानव सेवा संस्थान, 43 ए, श्याम वाटिका, रामनगर विस्तार, सोडाला, जयपुर राजस्थान के सम्बन्ध में जांच किये जाने के लिए आवेदन पत्र दिया है।
अतएवं धारा 18 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में उपर्युक्त प्रन्यास जिसकी जांच की जा रही है में हित रखने वाले समस्त व्यक्तियों के नाम, व्यापक जानकारी के लिए यह नोटिस प्रकाशित किया जाता है कि वे इस नोटिस के जारी होने की तारीख से साठ दिन के भीतर उक्त प्रन्यास के सम्बन्ध में आपत्तियां, यदि कोई हो प्रस्तुत करें। और यह सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त निर्दिष्ट अवधि के भीतर कोई आपत्तियां नहीं की गई तो उक्त आवेदन पत्र निर्धारित रीति से निर्णित किया जावेगा तथा जांच ग्रसित मामले में निष्कर्ष अभिलिखित किया जावेगा।
आज दिनांक 02.06.2026 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय मोहर के अधीन जारी किया गया।
आइंदा तारीख पेशी 10.08.2026
मोहर अदालत सहायक आयुक्त (प्रथम) देवस्थान विभाग जयपुर

प्रपत्र संख्या 7
(देखिये नियम 21)
कार्यालय सहायक आयुक्त (प्रथम) देवस्थान विभाग, जयपुर
राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 18 (2) के अधीन नोटिस
समस्त सम्बन्धित व्यक्तियों को
मुकदमा नम्बर 658/2026
(नाम वर्णन तथा निवास स्थान)
चूंकि श्री जितेन्द्र सिंह शेखावत, निवासी प्लाट नम्बर 34 हरी नगर, झोटवाडा जयपुर ने राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 17(1) के अन्तर्गत प्रन्यास मां श्री तनोटराय भक्त सेवा संस्थान, प्लाट नम्बर 34 हरी नगर, झोटवाडा जयपुर राजस्थान के सम्बन्ध में जांच किये जाने के लिए आवेदन पत्र दिया है।
अतएवं धारा 18 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में उपर्युक्त प्रन्यास जिसकी जांच की जा रही है में हित रखने वाले समस्त व्यक्तियों के नाम, व्यापक जानकारी के लिए यह नोटिस प्रकाशित किया जाता है कि वे इस नोटिस के जारी होने की तारीख से साठ दिन के भीतर उक्त प्रन्यास के सम्बन्ध में आपत्तियां, यदि कोई हो प्रस्तुत करें। और यह सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त निर्दिष्ट अवधि के भीतर कोई आपत्तियां नहीं की गई तो उक्त आवेदन पत्र निर्धारित रीति से निर्णित किया जावेगा तथा जांच ग्रसित मामले में निष्कर्ष अभिलिखित किया जावेगा।
आज दिनांक 02.06.2026 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय मोहर के अधीन जारी किया गया।
आइंदा तारीख पेशी 10.08.2026
मोहर अदालत सहायक आयुक्त (प्रथम) देवस्थान विभाग जयपुर

प्रपत्र संख्या 7
(देखिये नियम 21)
कार्यालय सहायक आयुक्त (प्रथम) देवस्थान विभाग, जयपुर
राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 18 (2) के अधीन नोटिस
समस्त सम्बन्धित व्यक्तियों को
मुकदमा नम्बर 663/2026
(नाम वर्णन तथा निवास स्थान)
चूंकि मधु भट्ट तैलंग, निवासी 118 ए, गैटोर रोड, ब्रह्मपुरी, जयपुर राजस्थान ने राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 17(1) के अन्तर्गत प्रन्यास इंटरनेशनल ध्रुवपद ग्राम ट्रस्ट 118 ए, श्री गोकुल मंजरी, गैटोर रोड, ब्रह्मपुरी, जयपुर राजस्थान के सम्बन्ध में जांच किये जाने के लिए आवेदन पत्र दिया है।
अतएवं धारा 18 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में उपर्युक्त प्रन्यास जिसकी जांच की जा रही है में हित रखने वाले समस्त व्यक्तियों के नाम, व्यापक जानकारी के लिए यह नोटिस प्रकाशित किया जाता है कि वे इस नोटिस के जारी होने की तारीख से साठ दिन के भीतर उक्त प्रन्यास के सम्बन्ध में आपत्तियां, यदि कोई हो प्रस्तुत करें। और यह सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त निर्दिष्ट अवधि के भीतर कोई आपत्तियां नहीं की गई तो उक्त आवेदन पत्र निर्धारित रीति से निर्णित किया जावेगा तथा जांच ग्रसित मामले में निष्कर्ष अभिलिखित किया जावेगा।
आज दिनांक 04.06.2026 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय मोहर के अधीन जारी किया गया।
आइंदा तारीख पेशी 11.08.2026
मोहर अदालत सहायक आयुक्त (प्रथम) देवस्थान विभाग जयपुर

प्रपत्र संख्या 7
(देखिये नियम 21)
कार्यालय सहायक आयुक्त (प्रथम) देवस्थान विभाग, जयपुर
राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 18 (2) के अधीन नोटिस
समस्त सम्बन्धित व्यक्तियों को
मुकदमा नम्बर 662/2026
(नाम वर्णन तथा निवास स्थान)
चूंकि श्री सुधाकर पाण्डेय निवासी 95 आर के नगर, पुलिस लाईन कोटा राजस्थान ने राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 17(1) के अन्तर्गत प्रन्यास कनिका पाण्डेय फाउण्डेशन ट्रस्ट महिमा एलाईट अपार्टमेन्ट जे 702, स्वेज फार्म, न्यू सांगानेर रोड जयपुर राजस्थान के सम्बन्ध में जांच किये जाने के लिए आवेदन पत्र दिया है।
अतएवं धारा 18 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में उपर्युक्त प्रन्यास जिसकी जांच की जा रही है में हित रखने वाले समस्त व्यक्तियों के नाम, व्यापक जानकारी के लिए यह नोटिस प्रकाशित किया जाता है कि वे इस नोटिस के जारी होने की तारीख से साठ दिन के भीतर उक्त प्रन्यास के सम्बन्ध में आपत्तियां, यदि कोई हो प्रस्तुत करें। और यह सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त निर्दिष्ट अवधि के भीतर कोई आपत्तियां नहीं की गई तो उक्त आवेदन पत्र निर्धारित रीति से निर्णित किया जावेगा तथा जांच ग्रसित मामले में निष्कर्ष अभिलिखित किया जावेगा।
आज दिनांक 04.06.2026 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय मोहर के अधीन जारी किया गया।
आइंदा तारीख पेशी 11.08.2026
मोहर अदालत सहायक आयुक्त (प्रथम) देवस्थान विभाग जयपुर

प्रपत्र संख्या 7
(देखिये नियम 21)
कार्यालय सहायक आयुक्त (प्रथम) देवस्थान विभाग, जयपुर
राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 18 (2) के अधीन नोटिस
समस्त सम्बन्धित व्यक्तियों को
मुकदमा नम्बर 664/2026
(नाम वर्णन तथा निवास स्थान)
चूंकि श्रीराम चौरडिया निवासी 11/26 कावेरी पथ, मानसरोवर जयपुर ने राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 17(1) के अन्तर्गत प्रन्यास डॉ. अम्बेडकर अनुसूचितजाति अधिकारी कर्मचारी एसोसियेशन, राजस्थान 11/26 कावेरी पथ, मानसरोवर, जयपुर राजस्थान के सम्बन्ध में जांच किये जाने के लिए आवेदन पत्र दिया है।
अतएवं धारा 18 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में उपर्युक्त प्रन्यास जिसकी जांच की जा रही है में हित रखने वाले समस्त व्यक्तियों के नाम, व्यापक जानकारी के लिए यह नोटिस प्रकाशित किया जाता है कि वे इस नोटिस के जारी होने की तारीख से साठ दिन के भीतर उक्त प्रन्यास के सम्बन्ध में आपत्तियां, यदि कोई हो प्रस्तुत करें। और यह सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त निर्दिष्ट अवधि के भीतर कोई आपत्तियां नहीं की गई तो उक्त आवेदन पत्र निर्धारित रीति से निर्णित किया जावेगा तथा जांच ग्रसित मामले में निष्कर्ष अभिलिखित किया जावेगा।
आज दिनांक 04.06.2026 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय मोहर के अधीन जारी किया गया।
आइंदा तारीख पेशी 11.08.2026
मोहर अदालत सहायक आयुक्त (प्रथम) देवस्थान विभाग जयपुर